Speed Post
Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(योजना– 0101)– 126 / 2020.10938

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
सीतामढ़ी, जहानाबाद एवं अरवल

पटना, दिनांक :29-09-2020

विषय :– मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आम नागरिकों को डिजिटल राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति हेतु आपके जिलान्तर्गत अधिष्ठापित प्लॉटर से नक्शा मुद्रण संबंधित कार्य के लिए स्टेशनरी वस्तुओं के क्रय / मरम्मति हेतु उक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत इकाई कोड संख्या– **13 01 – कार्यालय व्यय** मद में 2,00,000 / – (दो लाख) रूपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है।

क्र0सं0	**कार्यालय का नाम**	**आवंटित राशि**
1	समाहर्त्ता, सीतामढ़ी (सदर अंचल डुमरा)	1,00,000
2	समाहर्त्ता, अरवल (सदर अंचल अरवल)	40,000
3	समाहर्त्ता, जहानाबाद (सदर अंचल जहानाबाद)	60,000
	कुल योग :–	2,00,000

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश संख्या 1664 दिनांक 26.10.2018 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
4. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष / इकाई कोड / माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड 40 – 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एंव त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाय।
7. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

10. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

29/9/20

(जय सिंह)
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना– 0101)– 126/2020.10938 **पटना, दिनांक** 29-09-2020

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित अंचलाधिकारी/अनुमण्डलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवंटित की गयी राशि की निकासी अबिलम्ब करते हुए प्लॉटर की मरम्मती करते हुए इसकी सूचना निदेशालय को शीध्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना– 0101)– 126/2020.10938 **पटना, दिनांक** 29-09-2020

प्रतिलिपिः– आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना एवं श्री सुमन जी कपूर, निम्नवर्गीय लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/9/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप